

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 648

दिनांक

08/05/25

अपवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
लिछमणाराम उर्फ लक्ष्मण	बनाम	गोरधनसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्तु करने लेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 276/2024

दिनांक : 08.05.2025

**आदेश**

तहसीलदार धनाऊ को भोजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा दीनगढ़ के खेत खसरा सं. 651/66 रकबा 02.0234 हेक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के लेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की लेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्ताकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की लेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिश्नर को कमिश्नर फीश रुपये 500/- गौंके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

08/05/25

क्रमांक/भू.अ./2025/ 649 to 652

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी लिछमणाराम उर्फ लक्ष्मण
3. विप्राथीगण गोरधनसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/श्रीरामनन्दा/धनाऊ/सेडवा



(कुरुमलता चौहटन)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन